

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 2429/ब-4/वित्त/2025
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/09/2025

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समस्त विभाग, मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।

विषय:- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एवं यूनिफाइड पेंशन (एकीकृत पेंशन योजना) के क्रियान्वयन के संबंध में।

- संदर्भ:- 1. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय का अधिसूचना क्र. 1859/ब-4/संसा.
/चार दिनांक 20.06.2025 एवं वित्त विभाग का पत्र क्रमांक 2311/
ब-4/वित्त/2025 दिनांक 29.08.2025
2. वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक FX-
1/3/2024-PR दिनांक 24 जनवरी 2025 एवं समसंख्यक दिनांक 25 अगस्त 2025

—0—


विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी संदर्भित पत्र अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के साथ ही राज्य शासन के अंतर्गत कार्यरत केन्द्रीय सिविल सेवा के सदस्यों हेतु भी लागू होंगे।

(मुकेश कुमार बंसल)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 2430/ब-4/वित्त/2025
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/09 /2025

1. संचालक, कोष एवं लेखा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग